

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

दिनांक 16.01.2019

संचिका सं. CICOM/R/2019/00006

सेवा में,

श्री हरीश कुमार शर्मा,



विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 20.12.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 21.12.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 24.12.2018 को प्राप्त हुआ से के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि आपने केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित कोई सूचना नहीं मांगी है, बल्कि प्रश्न पूछे हैं जो कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है, इसे प्रदान करने में जन सूचना अधिकारी असमर्थ हैं । सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 में उपलब्ध नियमों एवं प्रावधानों की जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो कि वेबसाइट के लिंक <https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf> पर उपलब्ध है का अवलोकन करें ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,

आर.टी.आई.सेल

दूरभाष - 011-26172690